राजद समाचार

आजादी, समानता और भाईचारा

राष्ट्रीय जनता दल का मासिक मुखपत्र

अंक–37 अगस्त, 2024 सहयोग राशि–40 रुपये

इस बार

बी.पी. मंडल विशेषांक

बी.पी. मंडल : संक्षिप्त परिचय- रामनरेश यादव	03
भारत के राजनीतिक इतिहास के अहम किरदार- डॉ. दिनेश पाल	04
सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र को संस्थागत आधार दिया- डॉ. सिद्धार्थ	08
राष्ट्र निर्माण में अहम पड़ाव है मंडल कमीशन- जयंत जिज्ञासु	10
मंडल आयोग की अनुशंसाओं का सार- प्रस्तोता- साकिब अशरफी	12
सदन में बी.पी. मंडल	
जाति के कारण कोई बड़ा या छोटा नहीं हो सकता-	17
सरकार धन नहीं गरीबी बांटती है-	20
राष्ट्र को सुखी बनाना है तो जातिवाद खत्म कीजिए-	22
सम-सामयिक	
गैर सवर्णों में जमीन तलाश रहे हैं पीके- वीरेंद्र यादव	23
संयुक्त वक्फ प्रबंधन विधेयक की हकीकत- मोहम्मद सज्जाद	24
मत-मतांतर	
ब्राह्मण बनियों में क्रीमी लेयर क्यों नहीं- विद्या भूषण रावत	27
कोटा के तहत कोटा ले लिए जातिगत जनगणना- कांचा आइलैय्या	31
बिहार के कवियों की जल्तशुदा नज्में- डॉ. मो. जाकिर हुसैन	33
पार्टी गतिविधियां	37
श्रद्धांजलि/ गुरुदेव कामत- शंकर प्रलामी	38
कवि का पन्ना/ कात्यायनी	40

सम्पादक

अरुण आनंद

सहयोग

कवि जी/ डॉ. दिनेश पाल/ साकिब अशरफी

जगदानन्द सिंह

प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, वीरचन्द पटेल पथ,

पटना-01 द्वारा प्रकाशित एवं वितरित

राजद समाचार की ईमेल आईडी

samacharrjd@gmail.com

सब कोटा का अंतिम ध्येय जाति उन्मूलन हो

इसी महीने की पहली अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एससी/एसटी रिजर्वेशन के संदर्भ में कहा कि आरक्षण के लिए इनमें सब कैटोगरी किया जा सकता है। बेला त्रिवेदी के डिसेंटिंग नोट के बाद 6:1 के निर्णय से पारित इस फैसले के बाद से अब राज्य सरकारें इसे लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगी ताकि इन जाति समूह में व्याप्त असमानता की खाई को पाटा जा सके। यह सच है कि दलित समाज के अंदर वर्षों से लागू आरक्षण के बाद भी कुछ ऐसी वंचित जातियां हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिला। इसको लेकर इस समूह के बीच से कई बार आवाजें उठाई गईं, कई बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया लेकिन 2004 तक इस तरह की कोशिशों को कोर्ट द्वारा असंवैधानिक ठहराया जाता रहा। इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो उनके सामने पूर्व के- ई.वी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश और पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख को सब कोटा दिये जाने संबंधी मामले सामने थे। आंध्र सरकार ने 57 अनुसूचित जातियों को मिलाकर एक सब कैटोगरी बनाई थी और 15 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया था। इसी प्रकार पंजाब सरकार ने वाल्मीकि और मजहबी सिख के मध्य 50 प्रतिशत सब कोटा दिये जाने का निर्णय लिया था। इन दोनों ही निर्णयों को दोनों राज्यों के हाईकोर्ट ने खारिज किया। आंध्र मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया लेकिन पंजाब मामले पर सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की और इसे 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया। लंबी सुनवाई के बाद 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस प्रसंग में पुराने फैसले को पलटते हुए कोटा के अंदर कोटा को सही ठहराया।

अब जबकि वर्षों से लंबित सब कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 की बहुमत से बंटवारे को हरी झंडी दे दी है, राज्य सरकारें भी तथ्य और साक्ष्य के आधार पर सब कोटा बना सकती हैं, अगर उनके पास इसके लिए तर्कसंगत आधार हों। कोटे के अंदर कोटा का यह आधार ओबीसी आरक्षण में कई राज्यों में हमने देखा है। बिहार में